

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9110/RTI/जनरल/2015/ 2503-8 दिनांक:- 15 MAR 2019

कार्यालय आदेश


विभागीय आदेश क्रमांक टीपीआर: 9010. आर.टी.आई/2016/6917-37 दिनांक 06.10.2017 के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के अन्तर्गत वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर के क्षेत्राधिकार के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन, अजमेर के स्थान पर श्रीमती नैनसी जैन, सहायक नगर नियोजक (कार्यालयाध्यक्ष) कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को अग्रिम आदेशों तक लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपील प्राधिकारी

मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।

दूरभाष नं.-0141-2563702


लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त पत्रों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से एवं स्वयं के स्तर से करेंगे। सहयोग हेतु अपने अधीन सहायक लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित कर सकते हैं। लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसरण में निर्णय एवं आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित समस्त पत्राचार संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा।

 15/03/2019

(आर.के.विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9110/RTI/जनरल/2015/ 2503-8 दिनांक:- 15 MAR 2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
5. श्रीमती नैनसी जैन, सहायक नगर नियोजक (कार्यालयाध्यक्ष) कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक (जेडएसपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(सुभाष चन्द शर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक (मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।